प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 05.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं अवैध तमंचे की रोकथाम अभियान के तहत आज दिनांकः- 05.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा, श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 गौरव चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध तमंचे के साथ थानाक्षेत्र अन्तर्गत कीरत सागर गेट के पास चबूतरा बहद मु0 सराफीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा से एक नफर अभियुक्त दीपक अहिरवार पुत्र कमलेश अहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मु0 पतीवरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज की बरामदगी की गयी है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 204/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है व गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त, आपराधिक विवरण व बरामदगी-

दीपक अहिरवार पुत्र कमलेश अहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मु0 पतीवरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 गौरव चौबे चौकी इन्चार्ज सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 अंकित सिंह चौहान थाना कोतवाली नगर महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 05.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी है।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

- **अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल के साथ प्रमुख चौक, मिश्रित आबादी व महत्वपूर्ण/सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गश्त की गयी, स्थानीय लोगों से संवाद कर सुरक्षित परिवेश का कराया गया एहसास।**
- **यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 341 वाहनों के ई-चालान कर 3,33,000/- रुपये (तीन लाख तैतीस हजार रुपये) का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।**

आज दिनांक 05.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा जनपद में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद महोबा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में प्रमुख कस्बों, बाजार व मिश्रित आबादी वाले स्थानों में अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से व्यस्तम भीड़- भाड़ वाले प्रमुख स्थानो एवं सार्वाजनिक स्थानों यथा आल्हा चौक, ऊदल चौक, तहसील चौराहा, परमानन्द तिराहा आदि मुख्य जगहों पर पैदल गस्त की गयी।

पैदल गश्त के दौरान आमजनमानस से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में उनसे संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल पर पुलिस बल को तैनात किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। रात्रि डयूटियाँ एवं रात्रि पुलिस मोबाइल द्वारा विशेष सतर्कतापूर्वक लगातार भ्रमणशील रहते हुए गस्त करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।

पैदल गस्त के दौरान जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुये बिना हेलमेट, ट्रिपलिंग, बिना सीट बेल्ट, वाहनों पर लगी काली फ़िल्म व अवैध ई-रिक्शा के विरुद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालें वाहन व चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गयी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले **341** वाहनों का चालान कर कुल **3,33,000/-** रुपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

- **पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कबरई का किया गया आकस्मिक निरीक्षण, अभिलेखों के रख-रखाव, महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन कर समस्त प्रविष्टियों का अंकन करते हुये अभिलेखों को अद्यावधिक किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।**
- **थाना क्षेत्रान्तर्गत हुयी सड़क दुर्घटना के घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों की समीक्षा करते हुये सड़क हादसों पर प्रभावी रोकथाम लगाये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।**

आज दिनांक 05.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा देर रात्रि में थाना कबरई का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के अभिलेखों, बैरिक, मैस, मालखाना, हवालात, महिला हेल्पडेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष इत्यादि का निरीक्षण, थाना परिसर का भ्रमण कर साफ-सफाई का निरीक्षण, लम्बित मामलों का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण रजि. यथा- त्यौहार, अपराध, भूमि विवाद, बीट सूचना अंकन रजिस्टर, सजायवी रजिस्टर तथा फ्लाईशीट का गहनता से अवलोकन कर सम्बन्धित थाना प्रभारी को महिला अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशीलता बरते जाने व त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं साथ ही अभिलेखों के उचित रख-रखाव के साथ अद्यावधिक किये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

तत्पश्चात थाना क्षेत्रान्तर्गत हुयी सड़क दुर्घटना के घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों की समीक्षा करते हुये सड़क हादसों पर प्रभावी रोकथाम लगाये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री विषयदेव बुन्देला सहित थाना स्थानीय पर नियुक्त समस्त अधि0/ कर्मचारीगण मौजूद रहे।